

अनुसूची 21-फारम सं0-113

अनुसूची 21-फारम सं0-113
संपत्ति अवगार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या - 4832/24 आवेदन सं0 - 4832/24

चूंकि श्री/श्रीमति Smt R. S. Singh

According to Available Record Index- I I

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निवृत्त संव्यवहारों और अवधारों का सविस्तर प्रमाण-पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवधारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता0-2008 से ता0-2011 तक तलाशी की गयी और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवधारों का पता चला सम्पत्ति ऋण अवगार से मुक्त है।

है अतः

क्र0सं0	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र0 निर्देश		
				निष्पादक	छावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Muzel Ragspur Plotno-710 Khetra 66 TSURAN-5433/18232 Thana-3 for 4/10/17 old 8 old							

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
2. बंधक-पत्र की दिशा व्याज की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्त की उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।
मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवमारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवमार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर): 

(पदनाम): 

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जाँच निम्न व्यक्ति ने की :

(हस्ताक्षर): 

(पदनाम): 

कार्यालय:- 

तारीख: 15/12/24



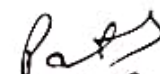

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का
हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवमार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से निम्न विवरण देकर किन्हीं-किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति (वाहयों) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रवृष्टियाँ देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवमारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वहियाँ और अनुक्रमणियों उनके पास-साम-ने रखदी जायेगी।

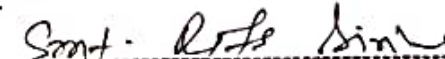
(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

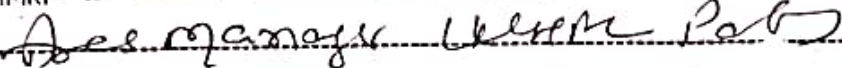
(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद ढूँढे गये संव्यवहारों और अवमारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवमारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय 

ज्ञाप संख्या 4832

दिनांक: 15/12/24

आवेदक श्री/श्रीमति  का

ऋणमार प्रमाण-पत्र द्वारा 

उक्त पत्र संख्या ----- दिनांक ----- के प्रसंग में अप्रसारित की जाती है।


निबंधन पदाधिकारी,

Schedule Xxi Form No. 87

S.N.....

RECEIPT FOR FEES DEPOSITED FOR SEARCH & COPY

Serial number of application.....4832.....

Date of application.....15/11/11.....

Name of applicant.....Song Aikun.....

Fees paid.....5000.....

Stamp Paper for.....

Date of deposit.....



[Signature]
Registering Office